74
mail
FAX

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फैक्स– 0755– 2555162,
E-Mail : ceomp@mp.nic.in **website:** **www.ceomadhyapradesh.nic.in**

फा. क्र. 1/2013/3/4246 भोपाल, दिनांक 24 ~~अप्रैल~~ मई, 2012
प्रति;

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)
मध्य प्रदेश.

विषयः सतत् अद्यतन – रिवीजन के पूर्व गतिविधियॉ (मतदाता सुविधा केन्द्र स्थापित करने के संबंध में)।

संदर्भः आयोग का पत्र क्र. 23/2012/ईआरए दिनांक 19.4.2012

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 19.04.2012 को अवलोकन करें। विशेष पुनरीक्षण अभियान के पूर्व पत्र में उल्लेखित गतिविधियों के संबंध में कार्य योजन बनाकर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। कार्य योजना की प्रति दिनांक 28.5.2012 के पूर्व भिजवाएं ताकि आयोग को भेजी जा सके।

यहां यह भी उल्लेखनिय है कि मतदाता सूची में पात्र सभी मतदाताओं के नाम शामिल रहे, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं उनके फोटो प्राप्त कर मतदात सूची में फोटो 100 प्रतिशत होना सुनिश्चित किया जाना है। इस कार्य के लिए आपके जिला कार्यालय में तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकरी के कार्यालय में (अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार) मतदाताओं/जनता की सुविधा के लिए <u>मतदाता सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाए</u>। केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में फार्म रखे जाए तथा केन्द्र प्रभारी/केन्द्र सहायक फार्म भरने तथा उसे प्रोसेस करने के लिए ट्रेंड हो यह सुनिश्चित किया जाए। सहायता केन्द्र कार्यालयीन समय में पूर्ण रूप से संचालित हो तथा सहायता केन्द्र का बोर्ड लगा हो यह सुनिश्चित करें। बड़ा पोस्टर/चार्ट बनाकर प्रदर्शित किया कि कोनसा फार्म किस कार्य कार्य हेतु भरना है। केन्द्र पर व्यक्ति/मतदाता द्वारा फार्म भरकर दिए जाते हैं तो उन फार्मो को प्राप्त कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संबंधित बीएलओ को भिजवाकर बीएलओ से जांच करवाकर फार्मो का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। प्राप्त फार्म पर लिए गए निर्णय की सूचना संबंधित मतदाता /आवेदक को भिजवाना भी सुनिश्चित किया जाए। सहायता केन्द्र पर जिन–जिन व्यक्तियों के फार्म प्राप्त हुए हैं उन फार्मो पर लिए गए निर्णय की जानकारी भी संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से केन्द्र पर बुलाई जाकर रखी जाए ताकि आवेदक द्वारा केन्द्र पर संपर्क करने पर उसकी जानकारी दी जा सके। नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड

में भी नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को मतदाता सहायता केन्द्र का नोडल अधिकारी बनाकर प्रत्येक वार्ड में केन्द्र स्थापित की कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में भी इन संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को नोडल आधिकारी बनाकर केन्द्र स्थापित करवाकर पर्याप्त मात्रा में फार्म रखाए जाएं। नोडल अधिकारियों से फार्मो को प्राप्त करने उन पर लिए गए निर्णयों की जानकारी के आदान प्रदान की व्यवस्था की जावे।

मतदाता सहायता केन्द्र प्रभावशाली हो यह सुनिश्चित करें।

(मु. नि० प०ा० द्वारा अनुमोदित)

23.5.12

(एस.एस. बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

पृ. फा. क्र. 1/2013/3/4217 भोपाल, दिनांक 24/ ~~अप्रैल~~ मई, 2012

प्रतिलिपिः

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय,
4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय की ओर भेजकर लेख है कि मतदाताओं की सुविधा हेतु केन्द्र स्थापित कर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के कार्य को करने हेतु सभी संस्थाओं को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

23.5.12

(एस.एस. बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश.